संख्या–307665/XXIV-B-1/2025-09(04)/2017 TC

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, मनूरखेड़ा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 25 अगस्त, 2025

विषय– छठवें एवं सातवे वेतनमान में वरिष्ठ अध्यापक का वेतन कनिष्ठ अध्यापक के वेतन से कम होने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उक्त विषयक अपने पत्रांक–अर्थ 5(क)/2656/वे0जिज्ञासा/15/2020–21, दिनांक 18 जुलाई, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से छठवे वेतनमान में शिक्षकों की वेतन विसंगति के क्रम में वरिष्ठ अध्यापक का वेतन कनिष्ठ अध्यापक के वेतन से कम होने के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–307665/XXIV-B-1/2025-09(04)2017, दिनांक 24 जून, 2025 द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देश के क्रम में प्रस्ताव/सुझाव प्रेषित करते हुए, यथोचित मार्गदर्शन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

02– इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि *पुनरीक्षित छठे एवं सातवे वेतनमान में शिक्षकों के वेतन का पुनर्निधारण किये जाने के क्रम में यदि वेतन वृद्धि की तिथि की गणना के लिए प्राविधानित नवीन व्यवस्था के दृष्टिगत शिक्षकों को वेतन वृद्धि अनुमन्य किये जाने के क्रम में शिक्षा विभाग के अन्तर्गत यदि वरिष्ठ अध्यापक का वेतन उनसे कनिष्ठ अध्यापक से कम निर्धारित हो रहा है, तो ऐसे सभी वरिष्ठ अध्यापकों का वेतन कनिष्ठ को अनुमन्य वेतन वृद्धि की तिथि से कनिष्ठ के समान निर्धारित कर दिया जाय। उक्त के क्रम में वरिष्ठ अध्यापक की वेतन वृद्धि की तिथि कनिष्ठ अध्यापक की वेतन वृद्धि की तिथि को निर्धारित हो जायेगी।*

03– उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उक्तानुसार वेतन निर्धारण किये जाने की स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1 वरिष्ठ और कनिष्ठ शिक्षक की सीधी भर्ती का पद एक ही हो तथा वरिष्ठ

प्रधानाचार्य
रा0 इ0 का0 गंगधार
टिहरी गढ़वाल

8/25/2025, 10:01 AM

3. संबंधित शिक्षक को अवकाश अवधि में वेतन देय नहीं होगा।

4. संबंधित शिक्षक का वेतन किसी प्रशासनिक निर्णय अथवा न्यायालय आदेश/डिक्री के फलस्वरूप बन्द न किया गया हो।

5. संबंधित शिक्षक का वेतन किसी अन्य कारण यथा किसी अन्य विभाग में की गई सेवा के आधार पर वेतन संरक्षण या विशिष्ट सामग्री अथवा पुरस्कार आदि के आधार पर स्वीकृत विशेष वेतन वृद्धि आदि के कारण अधिक न हुआ हो।

04— यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर जनित पत्र संख्या–1/323659/2025, दिनांक 20.08.2025 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

Digitally signed by
RAVINATH RAMAN
Date: 22-08-2025
14:14:07

(रविनाथ रामन)
सचिव

संख्या– 324381 /XXIV-B-1/2025–09(04)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Anil Kumar Pandey
Date: 22-08-2025
15(अनिल कुमार पाण्डे)
उप सचिव।

प्रधानाचार्य
रा0 इ0 का0 तांगधार
टिहरी गढ़वाल